समाचार

स्वच्छता कार्यो में उदासीनता पर आयुक्त का कड़ा रूख

मापदण्डों के अनुसार सफाई कार्य न होने पर लगाया 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड

(आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने शहर के विभिन्न मार्गो में किया नाईट स्वीपिंग कार्यो का निरीक्षण)

कोरबा 07 मार्च 2022 – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने शहर की स्वच्छता व साफ–सफाई कार्यो में उदासीनता दिखाने वाली सफाई कार्य एजेंसियों के प्रति कड़ा रूख अख्तियार करते हुए उन पर 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है, साथ ही उन्हें कड़ी चेतावनी दी है कि स्वच्छता कार्यो में कतई लापरवाही न बरते तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सफाई कार्य कराएं अन्यथा जवाबदारी सुनिश्चित कर संबंधित पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने रविवार की रात्रि शहर का भ्रमण कर निगम द्वारा स्वच्छता कार्य एजेंसियों के माध्यम से कराए जा रहे नाईट स्वीपिंग कार्यो का निरीक्षण किया। यहॉ उल्लेखनीय है कि निगम में पदभार ग्रहण करने के साथ ही आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के अन्य कार्यो की बेहतरी के साथ–साथ शहर की स्वच्छता एवं साफ–सफाई कार्यो पर विशेष फोकस रखकर कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। निगम द्वारा एक ओर जहॉ स्वच्छता का महाअभियान संचालित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं उनकी सहभागिता प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आयुक्त श्री पाण्डेय के निर्देश पर निगम द्वारा रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के अंतर्गत शहर के मुख्य मार्गो, चौक–चौराहों, संपर्क मार्गो व अन्य स्थानों पर नाईट स्वीपिंग का कार्य कराया जा रहा है, रविवार की रात्रि आयुक्त श्री पाण्डेय ने निगम के अधिकारियों के साथ शहर का दौरा कर शहर की साफ–सफाई एवं नाईट स्वीपिंग कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान घंटाघर क्षेत्र में किए जा रहे नाईट स्वीपिंग व साफ–सफाई कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाए जाने को गंभीरता से लेते हुए उन्होने

संबंधित सफाई एजेंसी पर 5000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया, इसी प्रकार टी.पी.नगर क्षेत्र में सी.एस.ई.बी.चौक से टी.पी.नगर चौक व अन्य क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान वहॉ पर भी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सफाई कार्य नहीं हो रहे थे, जिस पर उन्होने उक्त क्षेत्र की सफाई एजेंसी पर भी 5000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। भ्रमण के दौरान आयुक्त श्री पाण्डेय ने कोरबा पुराने शहर अंतर्गत सुनालिया ज्वेलर्स से गीतांजलि भवन पुराना बस स्टैण्ड तक के मुख्य मार्ग में नाईट स्वीपिंग व साफ–सफाई कार्यो का निरीक्षण किया, वहॉ पर निर्धारित संख्या में सफाई क र्मचारी काम नहीं पाए गए, जिसे गंभीरता से लेते हुए उन्होने संबंधित सफाई एजेंसी पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया। आयुक्त श्री पाण्डेय ने संबंधित सफाई एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप साफ–सफाई कार्य सुनिश्चित कराएं, स्वच्छता कार्यो में उदासीनता कतई न बरते अन्यथा जवाबदारी तय कर संबंधित पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

भ्रमण के दौरान निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, सुनील वर्मा, सहायक अभियंता राहूल मिश्रा, स्वच्छता निरीक्षक गिरवर विश्वकर्मा, उत्तम महंत आदि के साथ सफाई कार्य एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।